THE ROORKEE UNIVERSITY ACT 19471

[U. P. ACT No. IX OF 1948]

As AMENDED BY U. P. ACT No. XII OF I949

Adapted and modified by the Adaptation of Laws

Order, 1950

[Passed by the United Provinces Legislative Assembly on November 7, 1947 and by the United Provinces Legislative Council on December 2, 1947.

Received the assent of the Governor on February 7, 1948, under section 75 of the, Government of India Act, 1935 as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947 and was published in the United Provinces Government Gazette of February 28, 1948.]

AN

ACT

to establish and incorporate a teaching and residential University at Roorkee

WHEREAS it is expedient to provide for the teaching of all branches of Engineering at the Thomson College of Engineering at Roorkee and incorporate it into a unitary, teaching arid residential University;

It IS hereby enacted as follows:

Short title and commencement

1-

- (1) This Act may be called the Roorkee University Act, 1947.
- (2) It shall come into force on such dates³ as the [State Government]² may by notification in the official, Gazette, appoint in this behalf.

[Definitions

- 2- In this Act :--
 - (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
 - (b) "Academic Department" means a teaching Department of the University in which instructions are imparted leading to Bachelor's or Post Graduate Degree or Diploma;
 - (c) "Academic Centre' means a School, a Centre, a Laboratory, an Institute or the like established by the University, in which research, teaching or training is carried out but which is not covered under clause (b);
 - (d) "Board of Studies" means the Board of Studies of an Academic Department or an Academic Centre constituted in accordance with the regulations;
 - (e) "Dean" means a Dean appointed in accordance with the regulations;

For SOR see Utter Pradesh Gazette, Extraordinary, dated August 23, 1947 Part. VII. pro 61-63

^{2.} Subs. by A. O. 1950 for (Provincial Government).

^{3.} The Act came into force on March 1, 1948 vide notification no. 310·TC/XXIII-21.TC/46, dated February 27, 1948 in Gazette, dated March 6, 1948, Part I. P. 160.

- (f) "Director or Co-ordinator" means the Director or Coordinator of an Academic Centre appointed as such in accordance with the regulations;
- (g) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- (h) "Head of the Academic Department" means the Head of an Academic Department appointed in accordance with the regulations;
- (i) "Hostel" means a unit of residence for the students of the University maintained or recognized by the University
- (j) "Registered Graduate" means a graduate registered according to rules framed by the Syndicate under section 20;
- (k) "Regulations" means a regulations framed by the Syndicate under section 21;
 - (1) "Rule" means a rule framed by the Syndicate under section 20;
- (m) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Reader, Lecturer or any other person impairing instruction in the University;
- (n) "University" means the Roorkee University established under this Act.]1

The University

- [(1) The Chancellor, the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, if any, and the members of the Senate, the Syndicate, the Academic Council and the Finance Committee, for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of the University of Roorkee.]²
 - (2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

Powers of the University

The University shall have the following powers; namely:--

- (1) to provide for instruction in such branches of Engineering and allied subjects as the University may think fit and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge in the aforesaid subjects;
- (2) to hold examinations and to grant degrees to and confer other academic distinctions on persons who--
 - [(a) have pursued a course of study in the University or partly in the University and partly in any institution approved in that behalf by the University; or
 - (aa) have carried on research in the University or in any institution approved in that behalf by the University; or]³
- 1. Substituted by section 2 of U.P. Act No. 10 of 1998.
- 2. Subs. by section 3 ibid.
- 3. Subs. by section 4 (i) ibid.

- (b) are teachers in educational institutions under conditions prescribed in the regulations and shall have passed the examinations of the University under like conditions;
- (3) to confer honorary degrees or other distinctions on approved persons in the manner prescribed in the regulations;
- (4) to provide such lectures and instruction for, and to grant such diplomas to persons not being members of the University as the University may determine;
- (5) to co-operate with other Universities, authorities and institutions in such manner as maybe necessary to advance the objects of the University;
- (6) to institute [Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships]¹ readerships, lecturerships and other teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts;
- (7) to institute. fellowships arid scholarships, organize exhibitions and award medals and prizes in accordance with the rules and regulations;
- (8) to maintain hostels and recognize hostels not maintained by the University, provided that no hostel shall be so recognized for five years from the date this Act comes into force;
- (9) to demand and receive such fees as may be prescribed by the regulations;
- (10) to supervise and control the residence and discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare; and
- (11) to do all such other acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be requisite in order to advance the objects of the University as a teaching and examining body, and to promote Engineering and allied subjects;

[Provided that the University shall not transfer any immovable property by way of sale, gift, mortgage or lease for a period exceeding thirty years, without the previous approval of the State Government.]²

University open to all classes, castes and creeds

5- The University shall be open to all persons of either sex and of whatever race, creed or class and it shall not be lawful for University to impose on any person any restrictions of religious belief or professions in order to entitle him to be admitted thereto as a teacher or student or to hold any office therein or to enjoy or exercise any privilege thereof except where such restriction is a condition of any benefaction accepted by the University.

Teaching of the University

6- (1) All recognized teaching in connection with the University courses shall be conducted by the University as prescribed by the regulations.

- 1. Insertion by section 4 (ii) of U.P. Act No. 10 of 1998.
 - 2. Added by section 4 (iii) ibid.

- (2) The courses and curricula shall be prescribed by the regulations.
- (3) It shall not be lawful for the University to conduct courses or maintain classes for the purpose of preparing students for admission to the University.

Inspection and 7-enquiry

- (1) The [State Government]¹ shall have the right to cause an inspection to be made by such person, as it may direct, of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, and also of the examination, teaching and other work conducted or done by the University, and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University. The [State Government]¹ shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made.
- (2) The [State Government]¹ shall communicate to the Senate and the Syndicate its views on the results of any such inspection or inquiry, and shall after ascertaining the opinion of the Senate and the Syndicate thereon, issue such direction to the University as may be necessary.
- (3) The Syndicate shall report to the [State Government]¹ the action, if any, which is proposed to be taken or has been taken upon the direction issued by the [State Government]¹ under sub-section (2).

The report shall be submitted within such times as may be directed by the [State Government]¹ through the Senate which may express its opinion thereon.

(4) If it appears to the [State Government]¹ that the University has made default in performing a duty imposed on it by or under this Act or has failed to carry out any direction issued under sub-section (2) the [State Government]¹ may, in exceptional circumstances appoint an officer to perform such duty or carry out such direction at the expense of the University.

[Review Committee of the University

- 7-A (1) There shall be a Review Committee of the University to review the over all performance of the University.
 - (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of nine members to be nominated by the Chancellor from amongst the persons who have excelled in the field of engineering, technology or science.
 - (3) The member of the Review Committee shall hold office at the pleasure of the Chancellor and shall get such facilities and honorarium as may be prescribed by the Rules.
 - (4) Subject to sub-section (1), the Committee referred to therein shall at the end of every three years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997 independently review the academic performance of the University and submit, its report to the Chancellor who may take such actions thereon as he may deem expedient and necessary under the Act.]²
 - 1. Substituted by the A. O. 1950 for (Provincial Government).
 - 2. Added by section 5 of U.P. Act No. 10 of 1998.

[The Rorkee University Act, 1947]

[Section 8-11]

Officers of 8the University The following shall be the officers of the University-----

- (1) The Chancellor.
- (2) The Vice-Chancellor. .
- (3) The Pro-Vice-Chancellor.
- (4) The Registrar.
- (5) Such, other officers as maybe declared by the regulations to be officers of the University.

The Chancellor 9-

- (1) The Chancellor shall be nominated by the [State Government]¹.
- (2) The term of office of the Chancellor shall be three years.
- (3) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the rules.
- (4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

[The Vice-Chancellor 10-

11-

- (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor out of a panel of a minimum of three engineers, scientists or technologists, nominated by a Committee consisting of the President of Indian National Academy of Engineering or President of the Institution of Engineers (India), and two other members appointed by the State Government. The Vice-Chancellor shall hold office on such terms and subject to such conditions as may be prescribed by the rules.
- (2) Where any temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reasons of leave, illness or any other cause, and
 - (i) such vacancy is for a period not exceeding two months the Pro-Vice-Chancellor, if any, appointed or if there is no Pro-Vice-Chancellor or the Pro-Vice- Chancellor too is absent, the senior most Professor of the University, shall exercise the powers and perfom the duties of the Vice-Chancellor until the expiry of the period of two months or the vacancy in the office of the Vice-Chancellor is filed or the Pro-Vice-Chancellor, if any, takes over, whichever occurs first;
 - (ii) such a vacancy is for a period exceeding two months, the Chancellor may appoint any suitable engineer, scientist or technologist to the office of the Vice-Chancellor for a term not exceeding six months, which may, from time to time be extended up to a total period of one year, including the term fixed in the original order.]²

Powers and duties of the Vice-Chancellor (1) The Vice-Chancellor shall be a whole- time officer of the University. He shall be the principal executive and academic officer of the University and shall, in the absence of the Chancellor preside at the meetings of the Senate and at any Convocation of the University. He shall be an ex officio member and [Chairman of the Syndicate, Academic Council and the Finance Committee and]³ shall be entitled to be present and to speak at any meeting of any authority or other body of the University, but shall not be entitled to vote thereat unless he is a member of the authority or body concerned.

^{1.} Substituted by the A. O. 1950 for (Provincial Government).

^{2.} Substituted by section 6 of U.P. Act No. 10 of 1998.

^{3.} Subs by section 7 (a) ibid.

[Section 12-13]

- (2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the provisions of this Act, the rules and regulations are faithfully observed, and shall have all powers necessary for this purpose.
- (3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the [Senate, the Syndicate, Academic Council and the Finance Committee]¹:

Provided that he may delegate his power to any other officer of the University.

- (4) (a) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires that immediate action should be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.
- (b) When the action taken by the Vice-Chancellor under clause (a) affects any person in the service of the University such person shall be entitled to prefer an appeal to the Syndicate within fifteen days from the date on which such action communicated to him.
- (5) The Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Syndicate regarding the appointment, 'dismissal and suspension of the officers and teachers of the University, and shall exercise general control over the affairs of the University. He shall be responsible for the discipline of the University in accordance with the provisions of this Act, the rules and the regulations.
- (6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the rules or regulations.

[The Pro-Vice- 12-Chancellor

- (1) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst ten senior most Professors of the University.
- (2) The Pro-Vice-Chancellor shall discharge his duties in addition to his duties as Professor.
- (3) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.
- (4) The Pro-Vice-Chancellor shall get such facilities and honorarium as may be prescribed by the rules.
- (5) The Pro-Vice-Chancellor shall, assist the Vice-Chancellor in such matters as may be specified by the Vice-Chancellor from time to time, shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor and shall in the absence of the Vice-Chancellor exercise the powers and perform the duties of the Vice-Chancellor.]²

The Registrar

13-

The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall act as Secretary of the [Senate, the Syndicate, the Finance Committee and the Academic Council and shall be appointed in the manner prescribed by rules.]³ He shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the rules or regulations.

- 1. Substituted by section 7 (b) of U.P. Act No. 10 of 1998.
- 2. Subs. by section 8 ibid.
- 3. Subs. by section 9 ibid.

[The Rorkee University Act, 1947]

16-

[Section 14-16]

Other Officers

The powers of the officers of the University other than the Chancellor, Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor and the Registrar shall be prescribed by the rules or regulations.

Authorities of 15the University

The following shall be authorities of the University :--

- (1) The Senate;
- (2) The Syndicate;
- [(2-a) The Academic Council;
- (2-b) The Finance Committee;]¹
- (3) Such other authorities as may be declared by the regulations to be the authorities of the University.

[The Senate

(1) The Senate shall consist of the following members; namely:-

CLASS I- Ex-officio members-

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Pro-Vice-Chancellor, if any;
- (iv) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh, in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
 - (v) all Deans;
- (vi) all Heads of the Academic Department and all Directors or Coordinators of Academic Centers;
 - (vii) the Registrar,

CLASS II- Life members-

- (viii) persons not exceeding three appointed by name by the Chancellor to be life members on the ground that they have distinguished in or have rendered meritorious services to engineering and technological science or education;
- (ix) all persons who have made donations of not less than ten lakh rupees to or for the purposes of the University;
- (x) all other persons who are life members on the date of commencement of the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997;

CLASS III- Representation of Parliament and State Legislature:

(xi) two members of the Lok Sabha to be nominated by the Speker of the Lok Sabha;

[Section 16]

- (xii) one member of the Rajya Sabha to be nominated by the Chairman of the Rajya Sabha;
 - (xiii) four members of Vidhan Sabha of the State to be elected by it;
- (xiv) two members of the Vidhan Parishad of the State to be elected by it;

CLASS IV-- Registered Graduates:

(xv) ten representatives of the registered graduates of the University to be elected in the manner prescribed by the rules;

CLASS V—Representatives of the Teachers:

(xvi) thirty teachers of the University other than those who are already members in some other capacity, to be elected from amongst themselves. The number of their election shall be such as may be prescribed by rules:

Provided that a member once so elected shall not cease to be a member during the term for which he was so elected merely because he was appointed to any higher category of teachers;

CLASS VI - Representatives of Non-Teaching Employees :--

(xvii) four representatives of the Non-Teaching Employees of the University to be nominated by the Vice-Chancellor;

CLASS VII – Other members to be nominated by the State Government representing the following special interests or fields, namely:-

- (xviii) one representative of the Institution of Engineers (India);
- (xix) six representatives of the Public Sector Industries, Corporations, Research, Defence or other organizations;
- (xx) three representatives of the private sector industries or organizations;
- (xxi) one representative each of the Railways and Irrigation and Public Works Department of the State Government;
- (xxii) two representatives of the industrial organizations in the neighbourhood of the University;
- (xxiii) two representatives of the research institutions in the neighbourhood of the University;
- (xxiv) two representatives of the professional bodies of various disciplines of the University;
- (xxv) three representatives from amongst the Vice-Chancellors, Directors and Principals respectively of the Universities, Institutes and Colleges in the State having degree courses in Engineering or Technology.

- (2) The term of office of a member of classes III, IV, V and VII referred to in sub-section (1) shall be three years and of a member of class VI referred to in the said sub-section shall be one year, commencing from the date of first meeting of the Senate held after his election or nomination, as the case may be.
- (3) A person who became a member of the Senate (whether by election or nomination) by virtue of holding a particular office, shall cease to be such member on ceasing to hold such office notwithstanding that his term if any, has not expired.]¹

Powers and duties of the Senate

- 17- (1) Subject to the provisions of this Act, the Senate shall exercise the following powers and perform the following duties :
 - (a) of considering, amending or cancelling such regulations made by the Syndicate as need the approval of the Senate under this Act or the rules,
 - (b) of considering and passing resolutions on matters affecting the welfare of the University, on the annual accounts and the Financial estimates, and
 - (c) of exercising such other powers and performing such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Act, or the rules.
 - (2) The Senate shall on a date to be fixed by the Vice-Chancellor meet once a year at a meeting to be called "the annual meeting of the Senate.
 - (3) The Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit, and shall upon a requisition in writing signed by not less than twenty members of the Senate, convene a special meeting of the Senate.

[The Syndicate 18-

- (1) The Syndicate shall be the Executive Body of the University.
- (2) The Syndicate shall consist of the following members; namely -
 - (a) The Vice-Chancellor;
 - (b) The Pro-Vice-Chancellor;
- (c) three Heads of the Department and one Director or coordinator of Academic Centers to be nominated by the Academic Council by rotation in the manner prescribed by the rules;
 - (d) the Dean of Students Welfare;
- (e) nine representatives of teachers, other than those who are already members of the Syndicate in any other capacity, to be elected by the Senate. The number of the different categories of teacher and the manner of their election shall be such as may be prescribed by the rules;
- (f) four persons to be elected by the Senate from amongst such of its members as are not in the service of the University;

- (g) two persons from amongst eminent engineers and architects not in the service of the university to be nominated by the Chancellor in the manner prescribed by the rules;
- (h) two persons from amongst the eminent educationists and scientists not in the service of the University;
- (i) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of a Joint Secretary.
- (3) the term of office of the members referred to in clauses (c), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) shall be three years, commencing from the date of the first meeting of the Syndicate held after his election or nomination, as the case may be.
- (4) A person who became a member of the syndicate (whether by election or nomination) by virtue of holding a particular office, shall cease to be such member on ceasing to hold such office, notwithstanding that his term if any, has not expired.]²

Powers and duties of the Syndicate

19-

- (1) The Syndicate shall, subject to the approval of the [State Government]¹ in the case of (1) the appointment of officers and teachers, (2) the budget, (3) extraordinary expenditure (4) extension of courses, and (5) any other matter ordered by the [State Government]¹:
 - (a) hold, control and administer the property and funds of the University;
 - (b) direct the form, custody and use of the Common Seal of the University;
 - (c) subject to the powers conferred by this Act on the Vice-Chancellor, regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act and rules and regulations;
 - (d) administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
 - (e) have power to accept transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;
 - (f) save as otherwise provided by this Act and the rules, appoint the officers (other than the Chancellor and Vice-Chancellor), teachers and other servants of the University and specify their duties and the conditions of service and provide for filling the temporary vacancies in their posts;
 - (g) appoint examiners;
 - (h) publish the results of the University examinations;
 - (i) exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by this Act, the rules or the regulations; and
 - 1. Subs. by the A, O, 1950 for (Provincial Government).
 - 2. Substituted by section 12 of U.P. Act No. 10 of 1998.

[Section 19-A]

- (j) exercise all other powers of the University not otherwise provided for by this Act, rules or the regulations.
- (2) Any regulations made for the purpose of clauses (b), (e), (f) and (g) of sub-section (1) for such other regulations, as may be so prescribed by the rules, shall be subject to the approval of the Senate.
- [(3) The Syndicate shall not take any decision in regard to the number and qualifications of teachers and the fees payable to the examiners without considering the recommendations of the Academic Council.]¹

²[The Academic 19-A Council

- (1) The Academic Council shall be the Principal Academic Body of the University.
 - (2) The Academic Council shall consist of the following members :-

CLASS I- Ex-officio members-

- (i) The Vice-Chancellor;
- (ii) the Pro-Vice-Chancellor, if any appointed;
- (iii) all Heads of Academic Department;
- (iv) all Directors or Co-ordinators of Academic Centers;
- (v) the Librarian;
- (vi) one nominee of the University Grants Commission, New Delhi;
- (vii) one nominee of the Department of Education in the Ministry of Human Resource Development, Government of India;
- (viii) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh, in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
 - (ix) all Deans;
 - (x) the Registrar;

CLASS II- Representatives of Teachers:

- (xi) five senior most Professors of the University;
- (xii) two teachers from each academic Department, nominated by the Vice-Chancellor by rotation in order of seniority;

Provided that only such Lecturers shall be eligible for nomination who have atleast three years experience as Lecturer or in equivalent capacity;

CLASS III- Nominees of the Chancellor:

- (xiii) not more than five persons nominated by the Chancellor from amongst scientists, educationists, technologists, engineers and architects;
- (xiv) not more than five persons nominated by the Chancellor from amongst the Vice-Chancellors, Directors and Principals respectively of the Universities, Institutes and Colleges, having degree courses in engineering or technology;

^{1.} Substituted by section 13 of U.P. Act No. 10 of 1998.

^{2.} Section 19-A, 19-B, 19-C and 19-D added by section 14 ibid.

CLASS IV- Representatives of the Industrial or Commercial Organizations:-

- (xv) two representatives of the industrial or commercial organizations, to be nominated by the State Government;
- (3) The term or office of a member referred to in clauses (xii), (xiii), (xiv) and (xv) of sub-section (2) shall be three years, commencing from the date of first meeting of the Academic Council held after his nomination.
- (4) A person who became a member of the Academic Council (whether by election or nomination) by virtue of holding a particular office shall cease to bbe such member on ceasing to hold such office, notwithstanding that his term, if any, has not expired.

Powers and duties of the Academic Council 19-B The Academic Council shall, subject to the provisions of this Act, the rules and the regulations –

- (a) recommend to the Syndicate provisions relating to all academic matters for inclusion in the regulations;
- (b) supervise and control the admission of students in the University and the examinations of the University;
- (c) consider and recommend to the Syndicate, proposals for the creation or abolition or merger or division, of the Academic Departments and Academic Centers;
- (d) control, regulate and maintain the standards of instruction, education, training and research carried on or imparted in the University;
- (e) co-ordinate the working of Boards of Studies and scrutinize and approve their proposals in regard to the scheme of teaching and examinations in the University;
- (f) scrutinize and approve the recommendations of the examiners of Ph.D. candidates;
- (g) advise the Syndicate in regard to the number and qualifications of teachers and the fees payable to the examiners;
- (h) approve in regard to the recognition of the certificates, diplomas and degrees of other Universities and Institutions, as prescribed in the rules and the regulations;
- (i) consider and make its recommendations on such matters as may be referred to it by the Senate or the Syndicate;
- (j) perform in relation to academic matters all such duties as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act, the rules and the regulations;
- (k) maintain contact with employer organizations with a view to, access their changing needs for the pattern of education required to be imparted by the University.

[The Rorkee University Act, 1947]

[Section 19C-22]

The Finance Committee

19-C

- (1) The Finance Committee shall consist of the following person; namely:-
 - (a) the Chancellor;
 - (b) the Pro-Vice-Chancellor, if any appointed;
 - (c) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department or his nominee not below the rank of a Joint Secretary;
 - (d) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
 - (e) five persons to be nominated by the Syndicate by a resolution, out of who two shall b the persons other than the members of Syndicate, who have interest in education and finance:
 - (f) the Chief Accounts Officers;
 - (g) the Registrar.
- (2) the term of the office of members referred to in clause (e) shall be three years commencing from the date of first meeting of the Finance Committee after their nomination:

Provided that a person who became the member by virtue of being a member of the Syndicate shall cease to be such member on ceasing to be a member of the Syndicate, notwithstanding that his term, if any, has not expired.

Powers and Duties of the Finance Committee

- 19-D (1) The Finance Committee shall, subject to the provisions of this Act, rules and the regulations exercise the following powers and perform the following duties:-
 - (a) framing of annual budget of the University and allocation of funds therefor;
 - (b) generating sources of additional income other than the grant-in-aid;
 - (c) to advise the University on the investment of University Funds;
 - (d) such other matters as may be referred to it by the Syndicate.
 - (2) The Finance Committee shall have such other powers and duties as are assigned to it under the rules.] 2

The Rules

20-

The Syndicate may, with the approval of the [State Government]¹ frame rules to carry out the purposes of this Act.

Regulation

21- Subject to the provisions of this Act and the rules the Syndicate may frame any regulations to carry out the purposes of this Act and the rules.

Residence

22- Every student of the University shall reside in a hostel or under such conditions as may be prescribed by the regulations.

^{1.} Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Government).

Section 19-A, 19-B, 19-C and 19-D added by section 14 of U.P. Act No. 10 of 1998.

[The Rorkee University Act, 1947]

26-

28-

[Section 23-28]

Admission to University Courses Admission of students to the University shall be made In accordance with the rules or the regulations.

Examinations 24-

All arrangements for the conduct of examinations shall be made by the Syndicate in such manner as may be prescribed by this Act or the regulations.

Annual Report 25-

The annual report of the university shall be prepared under the direction of the Syndicate and shall be submitted to the Senate on or before such date as may be prescribed by the rules and shall be considered by the Senate and passed with or without amendments as it thinks fit at its annual meeting. The Syndicate shall thereafter submit the annual report as passed by the Senate to the [State Government]¹ with its views, if any, for any action which the [State Government]¹ may think fit.

Control on funds of the University

- (1) The Vice-Chancellor shall, subject to the provisions of this Act and the rules and regulations, be responsible for managing the property and for the investments of the University. He shall also be responsible for the presentation of the *annual estimates* and *statement of accounts*.
 - (2) The Auditors, appointed by the [State Government]¹ shall audit the accounts of the University and submit a report to the Vice- Chancellor as well as the [State Government]¹. An Accounts Officer, appointed by the [State Government]¹ according to the rules, shall be responsible for seeing that all moneys are spent on the purposes for which they are granted or allotted and that all accounts are properly maintained.
- (3) Every contract shall be signed by the Vice-Chancellor or a person authorized by him in this behalf.

Annual account

The annual accounts of the University shall be prepared under the direction of the Syndicate and shall be submitted to the [State Government]¹ for necessary action.

[Transitory provisions

Upon the commencement of the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997:-

- (i) the State Government shall as soon as may be, but not later than one year from such commencement take steps for the constitution of the Academic Council in accordance with the provisions of section 19-A and until the Academic Council is so constituted the functions of the Academic Council shall be performed by the Syndicate;
- (ii) the members of the Senate (other than those who are officers of the University or life members) shall cease to hold office as such members and the State Government shall, as soon as may be, but not later than one year from such commencement take steps for the reconstitution of the Senate in accordance with the provisions of section 16 and until such reconstitution of the Senate shall consist of the Ex-officio members, the life members and such members of the Syndicate as are nominated by the State Government under clause (iii) of section 16;

(iii) the members of the Syndicate other than the Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor shall cease to hold office as such members and the State Government shall, as soon as may be, but not later than one year from such commencement, take steps for the reconstitution of the Syndicate in accordance with the provisions of section 18 and until such reconstitution the Syndicate shall consist of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, the Dean of Students welfare, the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Technical Education Department and such members as may be nominated by the State Government to represent the classes refereed to in clauses (c), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of section 18.

Surcharge

- 29- (1) An officer of the University except the Chancellor shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct, while acting as such officer.
 - (2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may bed prescribed by the State Government by notified order.]²

First Constitution of the University

30-

As soon as the first Vice-Chancellor, the first Pro-Vice-Chancellor and the first Registrar and the first Syndicate have been appointed the University will have been duly constituted. Until such time as the Senate is constituted, the function of the Senate shall be performed by the [State Government]¹.

Explanation--- for the purposes of this section the fist Syndicate shall be deemed to have been duly appointed without the four members to be elected by the Senate till such time as the Senate elects them.

[Powers to remove difficulties

- 31- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, within a period of two years from the commencement of the Uttar Pradesh Roorkee University (Amendment) Act, 1997 by notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as amended by the said Act of 1997, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
 - (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be, before both the houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply, as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.]³
 - 1. Substituted by the A.O. 1950 for [Provincial Government].
 - 2. Substituted by section 15 of U.P. Act No. 10 of 1998.
 - 3. Subs. by section 16 ibid.

[The Rorkee University Act, 1947]

32-

33-

34-

[Section 32-34]

Validity of the act of the Syndicate or the Senate

No act or proceeding of the [Senate, the Syndicate, the Finance Committee or the Academic Council]¹ shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy among its members.

Question to be referred to the Chancellor

If any question arises whether any person has been duly elected or appointed or is entitled to be a member or any authority of the University, the matter shall be referred to the Vice-Chancellor whose decision thereon shall be final.

Contract for the appointment of officers and teaches Every salaried officer and teacher of the University shall be appointed by a written contract. The contract shall be lodged with the Registrar of the University and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned. Any dispute arising out of a contract between the University and any officer or teacher of the University shall, on the request of the officer or teacher concerned, be referred to a Tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Syndicate, One member nominated by the officer or teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor. The decision of the Tribunal shall be final and no suit shall lie in any court in respect of the matter decided by the Tribunal. Every such request shall be deemed to be a submission to arbitration within the meaning of the Arbitration Act, 1940, and all the provisions of that Act shall apply accordingly.

रूड़की विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) ऐक्ट, सन् 1947 ई0 {संयुक्त प्रान्त की ऐक्ट संख्या 9, सन् 1948 ई0}

THE ROORKEE UNIVERSITY ACT, 1947
[U. P. Act No. IX of 1948]

रूड़की विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) ऐक्ट, सन् 1947¹ ई0

{संयुक्त प्रान्त की ऐक्ट संख्या 9, सन् 1948 ई0}

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1949 द्वारा यथा संशोधित

एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्रमशः 07 नवम्बर, सन् 1947 ई0 तथा 02 दिसम्बर, 1947 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश सन् 1947 ई0 द्वारा संशोधित करके अनुकूल बनाए हुए भारत—शासन—विधान सन् 1935 ई0 की धारा 75 के अन्तर्गत गवर्नर ने दिनाँक 07 फरवरी, 1948 ई0 को स्वीकृत प्रदान की और संयुक्त प्रान्तीय शासकीय गजट में दिनाँक 28 फरवरी, 1948 ई0 को प्रकाशित हुआ।

रूड़की में शिक्षा देने वाले छात्रों के निवास करने का (रेजिडेंशल) विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) स्थापित करने के लिए

एक

ऐक्ट

क्योंकि यह आवश्यक और युक्तिसंगत है कि रूड़की के टामसन इंजीरिनयरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय और इसे एक ऐसे विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाय, जो एकात्मक हो और जहाँ पर शिक्षा दी जाय तथा छात्रों के निवास का प्रबन्ध हो;

इसलिए निम्नलिखित कानून बनाया जाता है : -

1— (1) इस ऐक्ट का नाम रूडकी विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) ऐक्ट, सन् 1947 ई0 होगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐक्ट उस तारीख³ से प्रयोग में आएगा, जो {राज्य सरकार}² इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर नियत करे।

{2-- इस ऐक्ट में :--

परिभाषाएं

- (क) 'विद्या परिषद' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;
- (ख) 'शैक्षणिक विभाग (एकेडेमिक डिपार्टमेन्ट)' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी शिक्षण विभाग से है, जिसमें ऐसा शिक्षण इिया जाता है, जिसकी परिणति स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा में होती है;
- (ग) 'शैक्षणिक केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी ऐसे विद्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, संस्थान या ऐसी ही किसी संस्था से है, जिसमें अनुसंधान, शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य किया जाता हो, किन्तु जो खण्ड (ख) के अधीन न आता हो;
- (घ) 'अध्ययन बोर्ड' का तात्पर्य किसी शैक्षणिक विभाग या शैक्षणिक केन्द्र के अध्ययन बोर्ड से है, जो रेगुलेशन के अनुसार गठित किया गया हो;
 - (ङ) 'संकायाध्यक्ष' का तात्पर्य रेगूलेशन के अनुसार नियुक्त किसी संकायाध्यक्ष से है;

^{1.} उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनाँक 13 जुलाई, 1977 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

^{3.} विज्ञप्ति सं0 310—टी0—सी0 / 23—21—टी0सी0 / 46, दिं0 22.02.1948, गजट भाग 1, पृ0 160, दिं0 6.3.1948 द्वारा 1 मार्च, 1948 से यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ।

{रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ई०}

धारा 3-4}

- (च) 'निदेशक या समन्वयकर्ता' का तात्पर्य रेगुलेशन के अनुसार इस रूप में नियुक्त शैक्षणिक केन्द्र के निदेशक या समन्वयकर्ता से है;
 - (छ) 'वित्त समिति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;
- (ज) 'शैक्षणिक विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य रेगुलेशन के अनुसार नियुक्त किसी शैक्षणिक विभाग के अध्यक्ष से है;
- (झ) 'छात्रालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त निवास की इकाई से है;
- (अ) 'रजिस्टर्ड ग्रेजुएट' का तात्पर्य धारा 20 के अधीन सिंडिकेट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड ग्रेजुएट से है;
 - (ट) 'रेगुलेशन' का तात्पर्य धारा 21 के अधीन सिंडिकेट द्वारा बनाए गए रेगुलेशन से है;
 - (ठ) 'नियम' का तात्पर्य धारा 20 के अधीन सिंडिकेट द्वारा बनाए गए नियम से है;
- (ड) 'अध्यापक (टीचर)' का तात्पर्य प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या ऐसे अन्य व्यक्ति से है. जो विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करता हो:
 - (ढ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन स्थापित रूड़की विश्वविद्यालय से है।]1
- 3— {(1) विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस—चांसलर, प्रो—वाइस—चांसलर, यदि कोई हो और सिनेट, सिंडिकेट, विद्या परिषद् और वित्त समिति के सदस्य, जो विश्वविद्यालय में तत्समय ऐसे पद धारण कर रहे हों, से रूड़की विश्वविद्यालय नामक एक निगमित निकाय गठित होगा।}

विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी)

- (2) विश्वविद्यालय को निरन्तर उत्तराधिकार प्राप्त होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा (मुहर) होगी और वह उक्त नाम से नालिश करेगी और उसी नाम से उस पर भी नालिश हो सकेगी।
 - 4-- विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात् :-

यूनिवर्सिटी के अधिकार

- (1) इंजीनियरिंग तथा सम्बन्धित विषयों की ऐसी शाखाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था करना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे और अनुसंधान तथा उपर्युक्त विषयों के ज्ञान को उन्नित तथा प्रचार के लिए प्रबन्ध करना;
- (2) परीक्षाएं करना और ऐसे व्यक्तियों को डिग्रियाँ तथा अन्य शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएं प्रदान करना :--
 - {(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो या कुछ शिक्षा विश्वविद्यालय में और कुछ किसी ऐसी संस्था में प्राप्त की हो, जिसको विश्वविद्यालय ने इस निमित्त स्वीकृति प्रदान की हो; या
 - (कक) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त स्वीकृति किसी संस्थान में अनुसंधान कार्य किया हो; या}³
- 1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1998 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
- 2. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 4 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

{रूड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ई0}

(धारा 5-6)

- (ख) जो रेगुलेशन में नियत की हुई शर्तों के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं में टीचर हो और जो इन शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों;
- (3) रेगुलेशन्स में नियत तरीके से स्वीकृत व्यक्तियों को आनरेरी डिग्रियाँ या दूसरे डिस्टिगशन्स प्रदान करना;
- (4) उन लोगों के लिए, जो विश्वविद्यालय के मेम्बर न हों, ऐसे लेक्चरों और ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध करना और उन्हें ऐसे डिप्लोमा देना, जिनको विश्वविद्यालय नियत करे;
- (5) ऐसे तरीके से, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी हो, दूसरे विश्वविद्यालय के अधिकारियों और संस्थाओं से सहयोग करना;
- (6) प्रोफेसरों, {एसोसिऐट प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों}¹ रीडरों, लेक्चररों और दूसरे शिक्षकों की जगहें कायत करना और उन जगहों पर लोगों को नियुक्त करना;
- (7) रेगुलेशन्स और नियमों के अनुसार फलोशिप और स्कालरिशप कायम करना, प्रदर्शनियाँ संगठित करना और मेडल और पारितोषिक देना;
- (8) छात्रालयों का प्रबन्ध करना और ऐसे छात्रावासों को स्वीकृति प्रदान करना, जिनका प्रबन्ध यूनिवर्सिटी न करती हो, पर शर्त यह है कि इस ऐक्ट के लागू होने की तारीख से पाँच साल तक किसी भी छात्रावास को इस प्रकार स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी;
- (9) ऐसी फीसों की माँग करना और उन्हें वसूल करना, जिन्हें रेगुलेशन्स के अनुसार नियत किया जाय;
- (10) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अनुशासन और निवास स्थान की देखभाल और नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य और रहन—सहन को सुधारने के लिए व्यवस्था करना; और
- (11) ऐसे सब दूसरे काम या बातें करना, चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों के सम्बन्ध में हो या न हो, जो शिक्षा देने वाले और परीक्षा देने वाली संस्था के रूप में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के पूरा करने के लिए जरूरी हो और इंजीनियरिंग और सम्बन्धित विषयों को तरक्की देगा:

[परन्तु विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण, बिकी, दान, बन्धक या तीस वर्ष से अधिक अविध के लिये पट्टे के रूप में नहीं करेगा।]²

5— विश्वविद्यालय में प्रत्येक जाति, धर्म और वर्ग के पुरूष या स्त्री दाखिल हो सकते हैं और विश्वविद्यालय के लिए यह जायज नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के, उसमें एक टीचर या विद्यार्थी की हैसियत से दाखिल होने या उसमें कोई पद स्वीकार करने या उसके किसी विशेषाधिकार को काम में लाने या प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसी किस्म का कोई धार्मिक विश्वाय या पेशा—सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाए, सिवाय उस दशा के जब ऐसा प्रतिबन्ध किसी ऐसे दान की एक शर्त हो, जिसे यूनिवर्सिटी ने स्वीकार कर लिया हो।

प्रत्येक वर्ग, जाति और धर्म के लोग विश्वविद्यालय में दाखिल हो सकते हैं

6—— (1) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में सब स्वीकृत शिक्षण—कार्य, जैसा कि वह रेगुलेशन्स के अनुसार नियत किया गया हो, विश्वविद्यालय करेगा।

विश्वविद्यालय का शिक्षण

- 1. उ०प्र० अधिनियम संख्या १० वर्ष १९९८ की धारा ४ (दो) द्वारा अन्तर्विष्ट ।
- 2. उपर्युक्त की धारा 4 (तीन) द्वारा बढ़ाया गया।

{रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ई०}

(धारा 7-7क)

- (2) पाठ्यकम और पाठ्य पुस्तकों की सूची रेगुलेशन्स के अनुसार नियत की जाएगी।
- (3) विश्वविद्यालय के लिए यह जायज नहीं होगा कि वह विश्वविद्यालय में दाखिल कराने के उददेश्य से विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए कोई पाठ्यक्रम आरम्भ करे या कक्षाएं खोलें।
- 7— (1) {राज्य सरकार}¹ को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह आदेश दे, विश्वविद्यालय उसकी इमारतों, लेबरीटीरीज (प्रयोगशालाएं), वर्कशाप (कारखाने) और सामान का और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, शिक्षा विधि और ऐसे अन्य कामों का निरीक्षण कराएं, जो वहाँ होते हों या किए जाते हों और किसी एक मामले की जाँच कराए, जिसका उक्त विश्वविद्यालय से सम्बन्ध हो। हर दशा में {राज्य सरकार}¹ को मान्य होगा कि वह निरीक्षण या जाँच, करने के सम्बन्ध में अपने विचार की सूचना विश्वविद्यालय को दे दे।

निरीक्षण और जाँच

- (2) {राज्य सरकार}¹ को मान्य होगा कि वह किसी ऐसे निरीक्षण या ऐसी जाँच के परिणामों पर अपने विचार सिनेट तथा सिंडिकेट के पास भेज दे और उस पर सिनेट और सिंडिकेट के विचार प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय को आवश्यक आदेश जारी करे।
- (3) सिंडिकेट को मान्य होगा कि वह {राज्य सरकार} को किसी ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट भेज दे, जो सिंडिकेट ने उसे आदेश के सम्बन्ध में की हो या करने वाला हो, जो उसे राज्य सरकार ने उपधारा (2) के अधीन जारी की हो।

यह रिपोर्ट, जिस पर सिनेट अपने विचार प्रकट कर सकती है, उसी के द्वारा ऐसे समय के भीतर भेज दी जाएगी, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार आदेश दे।

- (4) यदि {राज्य सरकार} को मालूम हो कि विश्वविद्यालय के किसी ऐसे कर्तव्य का पालन नहीं किया है, जो उसे इस ऐक्ट के अधीन या इसके द्वारा सौंपा गया हो या विश्वविद्यालय ने किसी ऐसे आदेश को कार्यान्वित न किया हो, जो उसके उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया था तो {राज्य सरकार} असाधारण परिस्थिति में ऐसे कर्तव्य को पालन करने या ऐसे आदेश को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय के खर्चे से किसी अफिसर को नियुक्त कर सकती है।
- [7—क—— (1) विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण कार्य का पुनर्विलोकन करने के लिए विश्वविद्यालय की एक पुनर्विलोकन समिति होगी।

विश्वविद्यालय की पुनर्विलोकन समिति

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में नौ सदस्य होंगे, जो चांसलर द्वारा, उन व्यक्तियों में से, जिन्होंने इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की हो, नामजद किये जायेंगे।
- (3) पुनर्विलोकन समिति के सदस्य चांसलन के प्रसाद प्यन्त पद धारण करेंगे और ऐसी सुविधाएं और मानदेय प्राप्त करेंगे, जैसा नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय।
- (4) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट सिमिति उत्तर प्रदेश रूड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति पर विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्य का स्वतंत्र रूप से पुनर्विलोकन करेगी और अपनी रिपोर्ट चांसलर को प्रस्तुत करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवहीं कर सकेगा, जैंसी वह ऐक्ट के अधीन समीचीन और आवश्यक समझे।}²
 - 1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
 - 2. उ०प्र० अधिनियम संख्या १० वर्ष १९९८ की धारा ५ द्वारा बढ़ाया गया।

{रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ईo}

धारा 8-11}

8-- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय के अफसर

- (1) चांसलर
- (2) वाइस-चांसलर
- (3) प्रो-वाइस-चांसलर
- (4) रजिस्ट्रार
- (5) ऐसे अन्य ऑफिसर, जो रेगुलेशनों के अनुसार विश्वविद्यालय के अफसर हो।
- 9— (1) चांसलर को {राज्य सरकार} नामजद करेगी।

चांसलर

- (2) चांसलर के कार्य-काल की अवधि तीन वर्ष होगी।
- (3) चांसलर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे, जो उसे इस ऐक्ट या नियमों के अधीन प्रदान किए जायं।
- (4) आनरेरी डिग्री (उपाधि) या प्रतिभा—सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रत्येक प्रस्ताव पर चांसलर की स्वीकृति से व्यवहार किया जाएगा।
- [10—— (1) चांसलर, वाइस—चांसलर की नियुक्ति न्यूनतम तीन ऐसे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों या प्रौद्योगिकीविदों की सूची में से करेगा, जिन्हें कोई ऐसी कमेटी मनोनीत करे, जिसमें इंडियन नेशनल अकेडेमी ऑफ इंजीनियर्स के प्रेसीडेन्ट या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के प्रेसीडेन्ट और राज्य सरकार के नियुक्त किए हुए दो अन्य सदस्य सम्मिलित हो। वाइसचांसलर ऐसे निबन्धनों पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अपने पद पर आरूढ़ रहेगा, जो नियमों द्वारा निर्धारित की जाये।

वाइस चांसलर

- (2) जहाँ छुट्टी पर जाने या रोगग्रस्त होने या किसी अन्य कारण से वाइसचांसलर का पद अस्थायी रूप से खाली हो जाय और ——
 - (एक) ऐसी रिक्ति दो मास से अनिधक की अविध के लिए, वहां प्रो—वाइस—चांसलर यिद कोई नियुक्ति हो, या यिद कोई प्रो—वाइस—चांसलर न हो या प्रो—वाइस—चांसलर भी अनुपस्थित हो तो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम प्रोफेसर दो मास की अविध की समाप्ति तक या वाइस—चांसलर के पद की रिक्ति भरने तक या प्रो—वाइस—चांसलर, यिद कोई हो, के कार्यभार ग्रहण करने तक, इसमें जो भी पहले हो, वाइसचांसलर की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करेगा;
 - (दो) ऐसे रिक्ति दो मास से अधिक अविध के लिए है, वहां चांसलर किसी उपयुक्त इंजीनियर, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् को वाइसंचासलर के पद पर छः मास से अनिधक अविध के लिए, जो समय—समय पर एक वर्ष की कुल अविध तक के लिए, जिसमें मूल आदेश में नियत अविध भी है, बढाई जा सकती है, नियुक्त कर सकता है।
- 11—— (1) वाइस—चांसलर विश्वविद्यालय का पूरे समय काम करने वाला ऑफिसर होगा, वह प्रबन्ध तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का भी मुख्य अफसर होगा और उसे मान्य होगा कि वह चांसलर की अनुपस्थिति में सिनेट की बैठकों और उक्त विश्वविद्यालयों के किसी कन्वोकेशन के अवसर पर उसका सभापितत्व करे। वह अपने पद की हैसियत से [सिंडिकेट का मेम्बर और विद्या और वित्त समिति का चेयरमैन होगा और] उसे इस बात का अधिकार होगा कि विश्वविद्यालय के किसी ''अथॉरिटी'' या दूसरी संस्था की बैठक में उपस्थित रहे ओर बोले, परन्तु उसे उस बैठक में अपना वोट देने का अधिकार न होगा जब तक कि वह उस ''अथॉरिटी'' या सम्बन्धित संस्था का मेम्बर न हो।

वाइस-चांसलर के अधिकार और कर्तव्य

- 1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
- 2. उ०प्र० अधिनियम संख्या १० वर्ष १९९८ की धारा ६ द्वारा प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 7 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ई०}

धारा 12-13}

- (2) वाइस—चांसलर का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस ऐक्ट के आदेश, इन नियमों और रेगुलेशनों का पूर्णरूप से पालन किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे।
- (3) वाइस—चांसलर को अधिकार होगा कि वह {िसनेट, सिंडिकेट, विद्या परिषद् और वित्त समिति}¹ की बैठक करे :

परन्तु शर्त यह है कि उसे अधिकार होगा कि यह अधिकार वह विश्वविद्यालय के किसी दूसरे अफसर को दे दे।

- (4) (क) किसी ऐसी आकस्मिक आवश्यकता के आ पड़ने पर, जिसके बारे में वाइस—चांसलर की यह राय हो कि उस पर तुरन्त कार्रवाई की जाय, वह ऐसी कार्रवाई करे, जिसे वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् सबसे प्रथम अवसर पर अपनी र्कावाई की रिपोर्ट ऐसे अफसर, ऐसी "अथॉरिटी" या दूसरी संस्था को दे, जो साधारणतया उक्त मामले के सम्बन्ध में कार्रवाई करता या करती।
- (ख) यदि ऐसी कार्रवाई का प्रभाव, जो वाक्य खण्ड (क) के अधीन वाइस—चांसलर काम में लाया हो, किसी ऐसे व्यक्ति पर पड़ता हो, जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी हो, सिंडिकेट के सामने अपने मामले की अपील करे।
- (5) वाइस—चांसलर को मान्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के अध्यापकों और ऑफिसरों की नियुक्ति, बर्खास्तगी और मुअत्तली के बारे में सिंडिकेट के आदेशों का पालन करने और विश्वविद्यालय के मामलों की देखभाल करे। वह इस ऐक्ट के आदेश और (इस ऐक्ट के अधीन बनाए गए) नियम और रेगुलेशनों के अधीन विश्वविद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायी होगा।
- (6) वाइस—चांसलर को मान्य होगा कि वह ऐसे दूसरे अधिकार काम मे लाये और दूसरे कर्तव्यों का पालन करे, जो नियमों और रेगुलेशनों के अधीन उसे दिए जायं या सौंपे जाय।
- {12—— (1) वाइस—चांसलर, यदि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के दस ज्येष्ठतम प्रोफसेरों में से एक प्रो—वाइस—चांसलर नियुक्त कर सकता है।

प्रो–वाइस–चांसलर

- (2) प्रो—वाइस—चांसलर, प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
 - (3) प्रो-वाइस-चांसलर, वाइसचांसलर के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।
- (4) प्रो–वाइस–चांसलर, ऐसे सुविधाएं और ऐसा मानदेय प्राप्त करेगा, जैसा नियमों द्वारा प्राप्त किया जाय।
- (5) प्रो–वाइस–चांसलर ऐसे विषयों में जैसा वाइसचांसलर द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जायं, वाइस चासंलर की सहायता करेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे वाइस चासंलर द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं और वाइस चासंलर की अनुपस्थिति में वाइस चांसलर की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।}²

13— रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूरे समय काम करने वाला अफसर होगा और [िसनेट, सिंडिकेट, वित्त सिमिति और विद्या परिषद् के सेकेटरी की हैसियत से काम करेगा, और नियमों द्वारा निर्धारित रीति से नियुक्त किया जायेगा। 3 वह ऐसे दूसरे अधिकार काम में लाएगा और ऐसे दूसरे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो नियमों तथा रेगुलेशनों के अधीन उसे दिए या सौंपे जाय।

रजिस्ट्रार

- 1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1998 की धारा ७ (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
- 2. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

{रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ईo}

धारा 14-16}

14— चांसलर, वाइस—चांसलर, प्रो—वाइस—चांसलर और रजिस्ट्रार के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अफसरों के अधिकार नियमों तथा रेगुलेशनों के अधीन निर्धारित किए जाऐंगे।

दूसरे अफसर

15— नीचे लिखी हुई (संस्थाएं) विश्वविद्यालय की ''अथॉरिटियाँ'' होंगी :--

विश्वविद्यालय की ''अथॉरिटियाँ''

- (1) सिनेट;
- (2) सिंडिकेट;
- {(2-क) विद्या परिषद्;
- (2-ख) वित्त समिति;}1
- (3) ऐसे दूसरे अधिकारी, जो नियमों के अधीन विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जायं।

[16-- सिनेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :-

सिनेट

श्रेणी-एक- पदेन-सदस्य :--

- (एक) चांसलर;
- (दो) वाइस-चांसलर;
- (तीन) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई हो;
- (चार) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो;
 - (पांच) समस्त संकायाध्यक्षः;
- (छः) समस्त शैक्षणिक विभागों के अध्यक्ष और समस्त शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक या समन्यवकर्ता;
 - (सात) रजिस्ट्रार;

श्रेणी-दो- आजीवन सदस्य -

- (आठ) तीन से अनिधक व्यक्ति, जिनको चासंलर नाम से इस कारण आजीवन सदस्य नियुक्त करे कि उन्होंने इंजीनियरिंग और प्रोद्योगिक विज्ञान या शिक्षा में विशिष्टता प्राप्त की है या उनकी प्रशंसनीय सेवा की है;
- (नौ) ऐसे समस्त व्यक्ति, जिन्होंने विश्वविद्यालय को या उसके उद्देश्यों के लिए कम से कम दस लाख रूपये दान दिया है:
- (दस) ऐसे समस्त व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश रूड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक का आजीवन सदस्य हो;

श्रेणी-तीन- संसद और राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि -

(ग्यारह) लोक सभा के दो सदस्य, जिन्हें लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जायेगा;

(धारा 16)

(बारह) राज्य सभा का एक सभापति, जिसे राज्य सभा के सभापति द्वारा नामजद किया जायेगा;

(तेरह) राज्य विधान सभा के चार सदस्य, जिन्हें उसके द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

(चौदह) राज्य विधान परिषद् के दो सदस्य, जिन्हें उसके द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

श्रेणी-चार- रजिस्टर्ड ग्रेजुएट -

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड ग्रेजुएटों के दस प्रतिनिधि, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जायेगा;

श्रेणी-पांच- अध्यापकों के प्रतिनिधि -

(सोलह) विश्वविद्यालय के तीस अध्यापक, जिनके सिवाय जो किसी अन्य हैसियत में उसके पहले से सदस्य हों, जो अपने में से निर्वाचित किए जायेंगे। अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या और उनके निर्वाचन की रीति ऐसी होगी, जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जाय:

परन्तु इस प्रकार एक बार निर्वाचित सदस्य की सदस्यता उस अवधि के दौरान जिसके लिए वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया था, केवल इस कारण से समाप्त नहीं हो जायेगी कि उसके अध्यापकों की किसी उच्चतर श्रेणी में नियुक्त किया गया था;

श्रेणी-छ:- शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि

(सत्रह) विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चार प्रतिनिधि, जिन्हें वाइस चांसलर द्वारा नामजद किया जायेगा;

श्रेणी—सात— राज्य सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले अन्य सदस्य, जो निम्नलिखित विशेष हितों या क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों, अर्थात् —

(अठारह) इण्डस्ट्रीयोशन ऑफ इंजिनियर्स (इण्डिया) का एक प्रतिनिधि;

(उन्नीस) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योंगो, निगमों, अनुसधान, रक्षा (डिफेन्स) या अन्य संगठनों के छः प्रतिनिधि;

(बीस) निजी क्षेत्र के उद्योंगों या संगठनों के तीस प्रतिनिधि;

(इक्कीस) रेलवे और राज्य सरकार के सिंचाई और लोक निर्माण विभागों के एक-एक प्रतिनिधि;

(बाईस) विश्वविद्यालय के आस-पास के औद्योगिक संगठनों के दो प्रतिनिधि;

(तेइस) विश्वविद्यालय के आस-पास के अनुसंधान संस्थाओं के दो प्रतिनिधि;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक विषयों (डिसीप्लिन) के वृत्तिक निकायों के दो प्रतिनिधिः

(पच्चीस) राज्य के विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और महाविद्यालयों के, जिसमें इंजीनियरिंग या टैक्नोलॉजी में डिग्री पाठ्यकम को कमशः वाइस चांसलरों, डायरेक्टरों और प्रिसिंपलों में तीन प्रतिनिधि। {रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ईo}

धारा 17-18}

- (2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणी तीन, चार, पांच और सात के किसी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट श्रेणी छः के सदस्य की पदावधि एक वर्ष होगी, जो यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नामजद किए जाने के पश्चात् सिनेट की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी।
- (3) कोई व्यक्ति, जो सिनेट के सदस्य (चाहे निर्वाचन नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि, यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने पर ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।}1
- 17— (1) इस ऐक्ट के आदेशों को पाबन्दी के साथ सिनेट के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे :--

सिनेट के अधिकार और

- (क) सिंडिकेट के बनाए हुए ऐसे नियमों पर, जिनकी इस ऐक्ट या नियमों के अधीन सिनेट की स्वीकृति की आवश्यकता हो, विचार करना, उनका संशोधन करना या उन्हें मन्सूख करना;
- (ख) ऐसे मामलों पर, जिनका प्रभाव विश्वविद्यालय के हित पर पड़ता हो, वार्षिक रिपोर्ट पर, वार्षिक हिसाब—िकताब पर और आर्थिक तखमीनों पर विचार करना और उनके बारे में प्रस्ताव पास करना: और
- (ग) उन अधिकारों को काम में लाने तथा उन कर्तव्यों को करने या उसको अधिकार होगा, जो इस ऐक्ट या इन नियमों के अन्तर्गत उसे प्राप्त हो या उस पर आयद किए गए हो।
- (2) सिनेट की बैठक किसी उस तारीख को, जो वाइस—चांसलर नियत करे, वर्ष में एक बार हुआ करेगी, जो "सिनेट की वार्षिक बैठक" कहलाएगी।
- (3) वाइस—चांसलर, जब भी उचित समझे, सिनेट की विशेष बैठक बुला सकता है, लेकिन सिनेट के कम से कम 20 सदस्यों के लिखित प्रार्थना—पत्र पाने पर वह अवश्य की विशेष बैठक बुलाएगा।
 - [18—— (1) सिंडिकेट विश्वविद्यालय की एक्जोक्यूटीव बाडी होगी।

सिंडीकेट

- (2) सिंडिकेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात :--
 - (क) वाइस चांसलर;
 - (ख) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्त हो;
- (ग) तीन विभागाध्यक्ष और शैक्षणिक केन्द्रों का एक निदेशक या समन्वयकर्ता, जो नियमों द्वारा निर्धारित रीति से चकानुकम से विद्या परिषद् द्वारा नामजद् किए जाएंगे;
 - (घ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;
- (ङ) अध्यापकों के नौ प्रतिनिधि, सिवाय उनके जो किसी अन्य हैसियत में सिंडिकेट के पहले से सदस्य हों, जिन्हें सिंडिकेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या और उनके निर्वाचन की रीति ऐसी होगी, जैसी नियमों द्वारा निर्धारित की जाय।
- (च) चार व्यक्ति, जिन्हें सिनेट द्वारा अपने ऐसे सदस्यों में से जो विश्वविद्यालय की सदस्यों में से न हो, निर्वाचित किया जायेगा;

{रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ई०}

(धारा 19)

- (छ) सुविख्यात इंजीनियरों और वस्तुविद्ों (आर्किटेक्टो) में से दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से चांसलर द्वारा नामजद् किया जायेगा;
 - (ज) सुविख्यात शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों में से दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, जिन्हें नियमों द्वारा निर्धारित रीति से चांसलर द्वारा नामजद किया जायेगा;
 - (झ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो।
- (3) उपधारा (2) के खण्ड (ग), (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदाविध तीन वर्ष होगी, जो यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नामजद् किए जाने के पश्चात् सिनेट के प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी।
- (4) कोई व्यक्ति, जो सिनेट का सदस्य, (चाहे निर्वाचन या नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुए भी, कि उसकी पदावधि, यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।}²
- 19—— (1) सिंडिकेट (1) अफसरों और अध्यापकों की नियुक्ति, (2) बजट, (3) असाधारण व्यय, (4) पाठ्यक्रम के विस्तार के मामले में और (5) किसी ऐसे अन्य विषय में, जैसा कि {राज्य सरकार} 31 अदेश दे, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, रहते हुये ——

सिंडिकेट की शक्तियां और कृत्य

- (क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और उसके कोष को रखेगा, उसका प्रबन्ध करेगा और उसको इस्तेमाल करेगा;
- (ख) विश्वविद्यालय की संयुक्त मुहर के फार्म, उसकी सुरक्षा और इस्तेमाल के संबंध में आदेश देगा;
- (ग) उन अधिकारों का ध्यान रखते हुए, जो इस ऐक्ट के अन्तर्गत वाइस—चांसलर को प्राप्त हों, इस ऐक्ट और इन नियमों तथा रेगुलेशनों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सारे विषयों को तय और नियंत्रित करेगा;
- (घ) ऐसे किसी कोष को खर्च करेगा, जो विश्वविद्यालय को किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया गया हो;
- (ङ) उसे विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी चल या अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण को स्वीकृत करने का अधिकार होगा;
- (च) इस ऐक्ट और इन नियमों में, जैसा भी आयोजन हो, विश्वविद्यालय के अफसरों (चासंलर और वाइस—चांसलर को छोड़कर) अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा और उनके कर्तव्य तथा उनकी नौकरियों की शर्तें बतायेगा तथा उनकी अस्थायी रिक्त जगहों पर नियुक्तियाँ करेगा;
 - (छ) एक्जामिनर नियुक्त करेगा;
 - (ज) विश्वविद्यालय के परीक्षाफलों को प्रकाशित करना;
- (झ) ऐसे अन्य अधिकारों और ऐसे अन्य कर्तव्यों को काम में लाना, जो इस ऐक्ट, नियमों या रेगुलेशनों के द्वारा उसको प्राप्त हों या उस पर थोपे गये हों;

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

^{2.} उ० प्र० अधिनियम संख्या १० वर्ष १९९८ की धारा १२ द्वारा प्रतिस्थापित।

{रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ईo}

(धारा 19-क)

- (ञ) ऐसे अन्य विश्वविद्यालय के अधिकारों को काम में लाना, जिनका इस ऐक्ट, नियमों या रेगुलेशनों में किसी दूसरे प्रकार से आयोजन न किया गया हो।
- (2) उपधारा (1) के फिकरा (ख), (ङ), (च), (छ) के प्रयोजनों के लिए बनाये गये किसी रेगुलेशन के लिए या ऐसे अन्य रेगुलेशन के लिए, जो नियमों द्वारा इस प्रकार निर्धारित किये गये हों, सिनेट की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- {(3) सिंडिकेट अध्यापकों की संख्या और अर्हताओं और एक्जामिनरों को देय फीस के सम्बन्ध में विद्या परिषद की संस्तृति पर विचार किए बिना कोई विनिश्चय नहीं करेगा।}1

²{19—क— विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी।

विद्या परिषद्

(2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् ---

श्रेणी-एक- पदेन-सदस्य :--

- (एक) वाइस-चांसलर;
- (दो) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्त हो;
- (तीन) समस्त शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष;
- (चार) समस्त शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक या समन्वयकर्ता;
- (पांच) पुस्तकालयाध्यक्ष ;
- (छः) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा नामजद एक व्यक्ति;
- (सात) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग का एक नामजद व्यक्ति;
- (आठ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो।
 - (नौ) समस्त संकायाध्यक्षः
 - (दस) रजिस्ट्रार;

श्रेणी-दो- अध्यापकों के प्रतिनिधि :-

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के पांच ज्येष्ठतम प्रोफेसर;

(बारह) प्रत्येक शैक्षणिक विभाग से दो अध्यापक, जो ज्येष्ठताकम में, चकानुकम से, वाइस—चांसलर द्वारा नामजद किये जायेंगे :

परन्तु केवल ऐसे लेक्चरर नामजदगी के लिए पात्र होंगे, जिन्हें लेक्चरर के रूप में या समकक्ष क्षमता में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो;

श्रेणी-तीन- चासंलर के नामजद व्यक्ति :-

(तेरह) वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, टैक्नालाजिस्टों, इंजीनियरों और वास्तुविदों (आर्किटैक्टों) में से चांसलर द्वारा नामजद पांच से अनिधक व्यक्ति;

(चौदह) विश्वविद्यालयों, संस्थानों और महाविद्यालयों के, जिनमें इंजीनियरिंग या टैक्नालॉजी में डिग्री पाठ्यकम हो, क्रमशः वाइसचांसलरों, निदेशकों और प्रिंसिपलों में से चांसलर द्वारा नामजद पांच से अनिधक व्यक्ति;

^{1.} उ०प्र० अधिनियम संख्या १० वर्ष १९९८ की धारा १३ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त की धाारा 14 द्वारा धारा 19-क, 19-ख, 19-ग तथा 19-घ बढाई गई।

{रूड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ई0}

धारा 19-ख}

श्रेणी-चार- औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधि :-

(पन्द्रह) राज्य सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठनों के दो प्रतिनिधि;

- (3) उपधारा (2) के खण्ड (बारह), (तेरह), (चौदह) और (पन्द्रह) में निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदाविध तीन वर्ष होगी, जो उसकी नामजदगी के पश्चात विद्या परिषद की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी।
- (4) कोई व्यक्ति, जो विद्या परिषद् का सदस्य (चाहे निर्वाचन या नामजदगी द्वारा) कोई पद विशेष धारण करने के आधार पर हुआ हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदाविध, यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, ऐसे पद विशेष पर न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।
 - 19—ख—— विद्या परिषद्, इस ऐक्ट, नियमों और रेगुलेशनों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए

विद्या परिषद् की शक्ति और कर्तव्य

- (क) समस्त शैक्षणिक विषयों में संबंधित उपबन्धों को रेगुलेशन में सिम्मिलित किये जाने के लिए सिंडीकेट को संस्तृति करेगी;
- (ख) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगी;
- (ग) शैक्षणिक विभाग और शैक्षणिक केन्द्राके के सृजन या उत्सादन या आमेलन या विभाजन के लिए प्रस्तावों पर विचार करेगी और सिंडिकेट को उनकी सिफारिश करेगी;
- (घ) विश्वविद्यालय में किये जा रहे या दिए जा रहे शिक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के स्तर का नियंत्रण, विनियमन और अनुरक्षण करेगी;
- (ङ) अध्ययन बोर्ड के कार्य संचालन का समन्वयन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण और परीक्षा की प्रणाली के सम्बन्ध में उनके प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी;
- (च) पी०एच०डी० अभ्यर्थियों के इक्जामिनरों की सिफारिशों की संवीक्षा और उनका अनुमोदन करेगी;
- (छ) अध्यापकों की संख्या और उनकी अर्हताओं और एक्जामिनरों को देय फीस के सम्बन्ध में सिंडिकेट को सलाह देगी:
- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रमाण—पत्रों, डिप्लोमाओं और डिग्रियों को मान्यता के सम्बन्ध में, जैसा कि नियमों और रेगुलेशनों में निर्धारित है, अनुमोदन करेगी;
- (झ) ऐसे विषयों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी, जो सिनेट या सिंडिकेट द्वारा उसको निर्दिष्ट किए जायं;
- (ञ) शैक्षणिक विषयों के सम्बन्ध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी, जो इस ऐक्ट, नियमों और रेगुलेशनों के उपबन्धों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो;
- (ट) विश्वविद्यालय की शिक्षण पद्धति में सेवायोजक संगठनों द्वारा बदलाव की अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए उनसे सम्पर्क बनाये रखेगी।

{रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ई0}

धारा 19ग-22}

19-ग-- वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे; अर्थात् :-

वित्त समिति

- (क) वाइस-चांसलर;
- (ख) प्रो-वाइस-चांसलर, यदि कोई नियुक्त हो;
- (ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो;
- (घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो;
- (ङ) सिंडिकेट के संकल्प द्वारा नामजद किए जाने वाले पांच व्यक्ति, जिनमें से दो सिंडीकेट के सदस्यों से भिन्न ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनको शिक्षा और वित्त में रूचि हो;
 - (च) मुख्य लेखा अधिकारी;
 - (छ) रजिस्ट्रार।
- (2) खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी, जो उसको नामजदगी के पश्चात् वित्त समिति की प्रथम बैठक होने के दिनांक से प्रारम होगी :

परन्तु कोई व्यक्ति, जो सिंडीकेट का सदस्य होने के आधार पर सदस्य हुआ हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि यदि कोई हो, समाप्त नहीं हुई है, सिंडीकेट का सदस्य न रह जाने के कारण ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

19—घ— वित्त समिति इस ऐक्ट, नियमों और रेगुलेशनों के उपबनधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का सम्पादन करेगी :——

वित्त समिति की शक्ति और कर्तव्य

- (क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को बनाना और उसके लिए निधि का आवंटन;
- (ख) सहायता अनुदान से भिन्न अतिरिक्त आय के स्रोतों को उत्पन्न करना;
- (ग) विश्वविद्यालय निधि का विनियोजन करने के लिए विश्वविद्यालय को सलाह देना;
- (घ) ऐसे अन्य विषय, जो उसे सिंडीकेट द्वारा निर्दिष्ट किए जायं;
- (2) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे, जो नियमों के अधीन उसे सौंपे जायं।}²

20— सिंडिकेट, शिज्य सरकार}¹ कर स्वीकृति प्राप्त करके, इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकता है।

नियम

21— इस ऐक्ट और नियमों के आदेशों के अधीन, इस ऐक्ट और नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सिंडिकेट कोई भी रेगुलेशन बना सकता है।

रेगुलेशन

22— विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को एक हॉस्टल में रहना होगा या ऐसी दशाओं में, जो रेगूलेशनों में, निर्धारित कर दी जायं। निवास

- 1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
- 2. उ०प्र० अधिनियम संख्या १० वर्ष १९९८ की धारा १४ द्वारा धारा १९-क, १९-ख, १९-ग तथा १९-घ बढाई गई।

{रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ई0}

धारा 23-28}

23— विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय में प्रवेश नियमों या रेगुलेशनों के अनुसारर किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश

24— परीक्षाओं को लेने के सब प्रबन्ध सिंडिकेट उस ढंग से करेगा, जैसा कि उस ऐक्ट या रेग्लेशनों में निर्धारित है। परीक्षाएं

25— विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सिंडिकेट के आदेशों के अनुसार तैयार की जायगी और सिनेट को किसी तारीख या उसके पूर्व पेश कर दी जायगी, जो कि नियमों से निर्धारित की जायगी और सिनेट उस पर अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगा और उसे संशोधनों सिहत या बिना संशोधनों के, जैसा वह उचित समझे, स्वीकार करेगी। उसके पश्चात सिंडिकेट सिनेट द्वारा स्वीकृति वार्षिक रिपोर्ट को अपनी राय के साथ अगर कोई हो, [राज्य सरकार] को ऐसी कार्रवाई के लिए भेज देगा, जो [राज्य सरकार] उचित समझें।

वार्षिक रिपोर्ट

26— (1) इस ऐक्ट, नियमों तथा रेगुलेशनों के आदेशों के अधीन, वाइस— चांसलर, विश्वविद्यालय की जायदाद का ठीक—ठाक प्रबन्ध करने और उसमें लगे हुए धन के लिए उत्तरदायी होगा। वह वार्षिक अनुमानों और हिसाबों के नक्शे को पेश करने का भी उत्तरदायी होगा।

विश्वविद्यालय के कोष का नियंत्रण

- (2) {राज्य सरकार}¹ द्वारा नियुक्त ऑडीटर विश्वविद्यालय के हिसाबों का निरीक्षण करेंगे और वाइस—चांसलर और {राज्य सरकार}¹ को भी एक रिपोर्ट भेजेंगे। नियमों के अनुसार {राज्य सरकार}¹ द्वारा नियुक्त एक एकाउन्टस अफसर इस बात के देखने का उत्तरदायी होगा कि सब रकमें, उन्हीं प्रयोजनों पर व्यय की जा रही है, जिनके लिए उन्हें दिया गया था या रखा गया था और यह कि सभी हिसाब ठीक—ठाक रखे जा रहे हैं।
- (3) वाइस—चांसलर या ऐसा व्यक्ति, जिसे वह इस प्रयोजन के लिए अधिकार दे दे, प्रत्येक ठेके पर हस्ताक्षर करेगा।

27— यूनिवर्सिटी के वार्षिक हिसाब सिंडिकेट के आदेशानुसार बनाये जायेंगे और आवश्यक कार्यवाही के लिए {राज्य सरकार}¹ के पास भेज दिये जायेंगे।

वार्षिक हिसाब

28— उत्तर प्रदेश रूडकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने पर —

संक्रमणकालीन उपबन्ध

- (एक) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं धारा 19—क के उपबन्धों के अनुसार विद्या परिषद् के गठन के लिए कार्यवाही करेगी और जब विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय, तब तक विद्या परिषद् के कृत्यों का पालन सिंडीकेट द्वारा किया जायेगाः
- (दो) सिनेट के सदस्य (उनसे भिन्न, जो विश्वविद्यालय के अफसर या आजीवन सदस्य हों) ऐसे सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेंगे और राज्य सरकार यथाशक्य शीघ्र किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार सिनेट के पुनर्गठन के लिए कार्यवाही करेगी और जब तक ऐसा पुनर्गठन न हो जाय, तब तक सिनेट के पदेन सदस्य, आजीवन सदस्य और सिंडीकेट के ऐसे सदस्य होंगे, जो खण्ड (तीन) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामजद किए गए हों;

{रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ईo}

धारा 29-31}

(तीन) वाइस—चांसलर और प्रो—वाइस—चांसलर से भिन्न सिंडीकेट के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेंगे और राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार सिंडीकेट के पुनर्गठन के लिए कार्यवाही करेगी और जब तक ऐसा पुनर्गठन न हो जाय तब तक सिंडीकेट में वाइस—चांसलर, प्रो—वाइस—चांसलर छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा विभाग और ऐसे सदस्य होंगे, जो धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामजद किए गए हों।

29— (1) चांसलर के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अफसर, विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन ऐसे अफसर के रूप में कार्य करते हुए उसके उपेक्षा या कदाचरण का प्रत्यक्ष परिणाम हो।

अधिभार

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय का दुरुपयोजन में अन्तर्ग्रस्त धनहानि की वसूली की रीति ऐसी होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा निर्धारित की जाय।}²

30— प्रथम वाइस—चांसलर, प्रथम प्रो—वाइस—चांसलर और प्रथम रजिस्ट्रार तथा प्रथम सिंडिकेट की नियुक्ति होते ही यह समझा जायगा कि यूनिवर्सिटी वैधानिक रूप से स्थापित हो गई है। उस समय तक जब तक कि सिनेट की स्थापना न हो जाय, सिनेट के कार्य {राज्य सरकार}¹ द्वारा किये जायेंगे।

यूनिवर्सिटी का प्रथम

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रथम सिंडिकेट के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसको नियुक्ति बिना उन चार सदस्यों के, जिनका निर्वाचन सिनेट करता, ऐसे समय तक के लिए ऐसे नियमित रूप से हो गई है, जब तक कि सिनेट उनका (सदस्यों) निर्वाचन न करे।

[31— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कितनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश रूड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अविध के भीतर, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो अधिनियम, 1997 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत में हो और जो उस कितनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

किताइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष यथाशक्य शीघ्र रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।]3

- 1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
- 2. उ०प्र० अधिनियम संख्या १० वर्ष १९९८ की धारा १५ द्वारा प्रतिस्थापित।
- उपर्युक्त की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

{रूडकी विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् 1947 ई0}

(धारा 32-34)

32— {सिनेट, सिंडिकेट वित्त सिमिति या विद्या परिषद्} के किसी कार्य अथवा कार्यवाही को केवल इस कारण के आधार पर अवैध घोषित न किया जायगा कि उसके मेम्बरों की कोई जगह खाली है।

सिंडिकेट अथवा सिनेट के कार्यों को वैध घोषित किया जाना

33— यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति नियमित रूप से यूनिवर्सिटी का कोई सदस्य अथवा अधिकारी चुना अथवा नियुक्त किया गया है अथवा नहीं या चुने जाने का अधिकारी है या नहीं तो यह मामला वाइस—चांसलर के सुपूर्द किया जायगा और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।

मामले, जो चांसलर के हवाले किये जायेंगे

34— यूनिवर्सिटी के प्रत्येक वैतनिक अफसर और शिक्षक की नियुक्ति एक लिखित समझौत द्वारा की जायगी। यह लिखित समझौता यूनिवर्सिटी के रिजस्ट्रार के पास जमा रहेगा और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित अफसर अथवा शिक्षक को दे दी जायगी। कोई झगड़ा, जो समझौते के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के किसी सम्बन्धित अफसर या शिक्ष के बीच में उठे तो वह सम्बन्धित अफसर या शिक्षक की प्रार्थना पर पंचों के कए ट्रिब्यूनल के हवाले कर दिया जायेगा, जिसमें एक सदस्य सिंडिकेट द्वारा नियुक्त किया जायगा, एक सदस्य सम्बन्धित अफसर अथवा शिक्षक द्वारा नामजद किया जायगा और एक सरपंच चांसलर द्वारा नियुक्त किया जायगा। ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम होगा और ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में किसी आदालत में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसी प्रत्येक प्रार्थना के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह आर्टिट्रेशन ऐक्ट, सन् 1940 ई0 के प्रयोजनों के अन्तर्गत पंचों के पास भेजी गई है और तद्नुसार इन ऐक्ट के सारे आदेश लागू होंगे।

अफसरों और शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

^{1.} उ०प्र० अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1998 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।